(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
प्रथम अपील संख्या :– 15/2025
पंजीकरण संख्या :– 2025/71

बउनवान

श्री सुंदरलाल गुर्जर निवासी ग्राम मोरेला ग्राम पंचायत सेमली तह. छबडा जिला बारॉ (राज.) –325220 मो.नं. 9602246349

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, छबडा जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 16.09.2025

प्रस्तुत प्रथम अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.07.2025 को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार छबडा को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर 04 बिंदुओं की सूचना चाही गई थी, जो निम्नानुसार है :–

1. सिंघवी क्रेशर स्टोन, मोरेली पठार जिस भूमि पर स्थित है, उसके खसरा नंबर व स्वामी का नाम क्या है?
2. क्या उक्त भूमि को कृषि से गैर कृषि में परिवर्तित किया गया है? यदि हां, तो आदेश की प्रति दें।
3. क्या उस भूमि पर सीमांकन हुआ है? सीमांकन रिपोर्ट प्रदान करें।
4. क्या विभाग को अवैध खनन की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कार्यवाही का विवरण दें।

अपीलार्थी को उक्त सूचना 04 बिंदुओं की सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार छबडा के ऑनलाईन पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 13.08.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार छबडा को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक 711–712 दिनांक 21.08.2025 से तलब कर प्रथम अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक 711–712 दिनांक 21.08.2025 से तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.10.01 19:09:18 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार छबडा द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/भू.अ./2025/3145–3146 दिनांक 10.09.2025 से जवाब इस न्यायालय में भिजवाते हुए, अपीलार्थी को भी प्रतिलिपी देते हुये अवगत करवाया गया कि :–

1. सिंघवी क्रेशर स्टोन मोरेली पठार ग्राम मोरेली के खसरा नं0 364/2 रकबा 1.0117 है. गैरमुमकिन औद्योगिक भूमि (स्टोन क्रेशर) सुनिता सिंघवी पत्नी महेंद्र सिंह सिंघवी जाति महाजन सा. छबड़ा के नाम दर्ज है।
2. ग्राम मोरेली के खसरा नं0 364 किस्म चारागाह में से 04 बीघा भूमि लघु उद्योग स्टोन क्रेशर को आवंटित की गई। शेष इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
3. उक्त भूमि का राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन नहीं किया गया है। आवंटित भूमि पर दखल दिया गया था जिसकी फोटो प्रति संलग्न है।
4. विभाग को अवैध खनन की संपर्क पोर्टल पर शिकायत प्राप्त हुई है। प्रकरण में श्रीमान् सहायक अभियंता खान एवं भू–विज्ञान विभाग बारां को लीज एवं मौका मुआयना एवं चिन्हीकरण हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया है, जो संलग्न है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार छबडा से अपील के प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार छबडा द्वारा बिंदुवार अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, छबडा को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **16.09.2025** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.10.01 19:09:18 IST
Reason: SelfAttested